

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/19/6608

दिनांक: 23/05/2019

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अपने स्तर पर ही नगर निकायों में रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों/अभियन्तागण को विभाग की जानकारी व अनुमति के बिना ही अधिकृत कर दिया जाता है जिससे विसंगति उत्पन्न होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, निदेशालय की जानकारी व अनुमति के बिना नगर निकायों में रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों/अभियन्तागण को अधिकृत करने के आदेश अपने स्तर पर जारी नहीं करावें, अपितु ऐसे प्रकरण विभाग की अनुमति हेतु भिजवाए जावें। →

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/19/

दिनांक: 23/05/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

6609-6846

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव महो0 स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. प्रमारी, आर0एम0एस0 संस्थापन शाखा, निदेशालय।
6. महापौर/सभापति/आयुक्त नगर निगम/परिषद् समस्त।
7. अध्यक्ष/अधिसाधी अधिकारी नगर पालिका, समस्त।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील भाटी)

अतिरिक्त निदेशक